फा.न<u>ं.234503008072015</u>

<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम</u> श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>दाण्डिक प्रकरण कमांक 715 / 15</u> <u>संस्थित दिनांक 04.08.2015</u> फा.नं.234503008072015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा जिला बालाघाट म०प्र०

.....अभियोजन।

विरूद्ध

- 1.तुलसीराम पिता पुनउ तिलासी, उम्र—32 वर्ष, निवासी अचानकपुर थाना बिरसा जिला बालाघाट(म०प्र०)
- 2.राजेश पिता सांतूराम उम्र—30 वर्ष, निवासी बोटेसर थाना लोहारा जिला कबीरधाम (छ०ग०)

.....अभियुक्तगण।

-:: निर्णय ::--::

दिनांक 29.06.2017 को घोषितः:—

- 1— अभियुक्त तुलसीराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 77/177 के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक—10.07.2015 को समय करीब 03:00 बजे स्थान ग्राम झांगुल अचानकपुर के बीच में फागूलाल वंशी के घर के सामने चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा लोकमार्ग पर हीरो एच0एफ0 डिलक्स बिना नंबर की मोटर सायिकल जिसका नंबर कमांक एच.ए.11ई.जे.ई.9एल.49140 तथा चेचिस नंबर एम.बी.एल.एच.ए.11ए.एल.ई9एल47977 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस के चलाया तथा उक्त वाहन पर आगे एवं पीछे नंबर न लिखा होते हुये वाहन का चालन किया तथा आरोपी राजेश पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 का आरोप है कि उसने मोटर सायिकल कमांक कमांक एच.ए.11ई.जे.ई.9एल.49140 के स्वामी होते हुए उक्त वाहन आरोपी तुलसीराम को उसके पास वैध लायसेंस नहीं होना जानते हुये चलाने दिया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बिरसा के रोजनामचासान्हा कमांक 453 दिनांक 10.07.2015 के 16:20 बजे संतोष पिता संपत्तिदास मांगरे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा से लिखित तहरीर पेश करने पर जांच हेतु उसे प्राप्त हुई। जांच पर घटनास्थल ग्राम झांगुल अचानकपुर के बीच में फागुलाल वंशी के घर के सामने मेन रोड पर झांगुल तरफ से सविता पित नरेश श्रीवास अपनी मोटर सायिकल टी.वी.एस. से आ रही थी तभी ग्राम अचानकपुर तरफ से मोटर सायिकल हीरो एच०एफ० डिलक्स बिना नंबर का चालक तुलसीराम साहू तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक मोटर सायिकल चलाकर ठोस मार दिया, जिससे सविता को दाहिने पैर की जांघ व ऐड़ी में चोट आई। घटना राणा पंचेश्वर ने देखा है। मोटर सायिकल एच०एफ० डिलक्स बिना नंबर का चालक तुलसीराम साहू द्वारा धारा— 279, 337 ता.ही. एवं 184



फा.नं.234503008072015

मो. व्ही. एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत को फ्रेक्चर आने से धारा 338 भा.दं0सं. का ईजाफा किया गया। प्रकरण के आरोपी तुलसीराम द्वारा बिना नंबर की मोटर सायकिल को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट किया गया है। मोटर सायकिल का रिजस्टर्ड बीमा पेश किया गया है। चालक द्वारा लायसेंस पेश नहीं करने पर धारा 3/181 एवं बिना लायसेंस मोटर सायकिल चलाने देने से मोटर सायकिल मालिक आरोपी राजेश के विरूद्ध 5/180 एवं 149/196 तथा वाहन पर आगे एवं पीछे नंबर न लिखा होते हुये वाहन का चालन किया जिससे धारा 77/177 का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3— अभियुक्त तुलसीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 77/177 तथा आरोपी राजेश को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत सविताबाई ने अभियुक्त तुलसीराम से राजीनामा कर लिया है। अतः अभियुक्त तुलसीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 77/177 का अपराध तथा आरोपी राजेश के विरुद्ध धारा—5/180 का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

- 1. क्या अभियुक्त तुलसीराम ने दिनांक—10.07.2015 को समय करीब 03:00 बजे स्थान ग्राम झांगुल अचानकपुर के बीच में फागूलाल वंशी के घर के सामने चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा लोकमार्ग पर हीरो एच0एफ0 डिलक्स बिना नंबर की मोटर सायकिल जिसका नंबर कमांक एच.ए.11ई.जे.ई.9एल.49140 तथा चेचिस नंबर एम.बी.एल.एच.ए.11ए.एल.ई9एल47977 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त तुलसीराम ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त उक्त वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस के चलाया ?
- 3. क्या अभियुक्त तुलसीराम ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन पर आगे एवं पीछे नंबर न लिखा होते हुये वाहन का चालन किया ?
- 4. क्या अभियुक्त राजेश ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटर सायकिल कमांक एच.ए.11ई.जे.ई.९एल.४९१४० के स्वामी होते हुए उक्त वाहन आरोपी तुलसीराम को उसके पास वैध लायसेंस नहीं होना जानते हुये चलाने दिया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष :--

5— साक्षी सविता श्रीवास (अ०सा०—01) ने कहा है कि वह आरोपी तुलसीराम को जानती है। घटना दिनांक 01.07.15 के दिन के दो से ढाई बजे की है। वह झामू से अपनी मोटर सायकिल से वापस आ रही थी कि अचानकपुर

फा.नं.234503008072015

झामुल फाटा रोड पर आरोपी ने अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति से लाकर उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था, उस समय बहुत बारिस हो रही थी, टक्कर लगने से उसे घुटने व जांघ पर चोट आयी थी। घटना होते हुए नारायण एवं बंशीलाल ने देखे थे और देखकर दौड़े थे। उसने घटना की जानकारी बहन दामाद को बताई थी, उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। आरोपी बिना नम्बर की नई गाड़ी चला रहा था, जिसपर सोल्ड लिखा हुआ था। पुलिस ने बिरसा अस्पताल में आकर घटना के संबंध में पूछताछ कर रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस को उसने अपना बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अपनी मोटर सायकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर विपरीत दिशा में आकर उसे टक्कर मारी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त वाहन हीरो एच०एफ० डिलक्स कंपनी की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह अपनी स्कूटी को अकेले चलाकर आ रही थी, जिसमें पैर रखने के पास उसकी नौकरी से संबंधित वैक्सिन, कैरियर बॉक्स थे, घटना के समय पानी गिर रहा था। उसने अपने पुलिस बयान में भी आरोपी द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक विपरीत दिशा से चलाकर ठोस मारने वाली बात बता दी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने धीमी गति से सावधानीपूर्वक अपनी दिशा से अपना वाहन चलाया था और स्वयं की गलती को छुपाने की वजह से वह आज सच बात नहीं बता रही है।

6— साक्षी फागूलाल (अ०सा०—02) ने कहा है कि वह आरोपी तुलसीराम को जानता है तथा अन्य आरोपी को नहीं जानता है। वह आहत सिवताबाई को नहीं जानता है। घटना उसके कथन देने से करीब दो साल पूर्व ग्राम अचानकपुर की है। वह घटनास्थल पर पहुँचा था तब घटना हो चुकी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने घटना से स्पष्ट रूप से इंकार कर प्र.पी.01 का कथन पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव का है इसलिये वह उसे जानता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

7— साक्षी गुलचंद डोहरे (अ०सा०—03) ने कहा है कि वह दिनांक 07.01.2014 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत सविताबाई पित नरेशा श्रीवास को अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच थाना प्रभारी के आदेश के उसके द्वारा की गई थी। जांच के दौरान आहत सविताबाई के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था, जिसने बताया कि बिना नम्बर की मोटरसाइकिल चालक तुलसीराम साहू एवं राजेश साहू द्वारा तेज रफतार व लापरवाहीपूर्वक अपनी मोटरसाइकिल चलाकर उसकी टी.व्ही.एस स्पोर्ट को टक्कर मार दिया था। उक्त जांच पर आरोपी के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.दं०ंस० के अंतर्गत अपराध कमांक 72 / 15 कायम किया, जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.07.15 को नंदलाल श्रीवास के

फा.नं.234503008072015

बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर नंदलाल श्रीवास के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.07.15 को राजेश से गवाह दीनू पंचेश्वर एवं संतोष बारमाटे के समक्ष हीरो एच.एक्स डिलक्स बिना नम्बर की सिल्वर कलर की मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं राजेश बघेल का अंगूटा निशानी है।

साक्षी गुलचंद डोहरे (अ०सा०-०३) का कथन है कि उसने आहत सविताबाई एवं तुलसीराम का शासकीय अस्पताल बिरसा में ईलाज हेतु मुलाहिजा फार्म भरकर भेजा था। आहत को बालाघाट रिफर किया गया था, जहां सविताबाई को फ्रेक्चर होना लेख करने पर धारा 338 भा.दं०सं० का ईजाफा किया गया था। विवेचना के दौरान आहत सविताबाई, नंदलाल, फागूलाल, राणा, सुखचरण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 16.07.15 को आरोपी को गवाह दीनू एवं सतोष के समक्ष अभिरक्षा में लेकर प्र.पी.05 के अनुसार अभिरक्षा पत्रक तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी तुलसीराम के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन का परीक्षण दिनांक 16.07.15 को परीक्षणकर्ता अश्वनी कुमार धूर्वे से करवाया गया था। उसके द्वारा आरोपी को गिरफतार नहीं करने की सूचना श्रीमान मान्नीय न्यायायलय जे.एम.एफ.सी बैहर को दी गई थी, जो प्र.पी.06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर उसके द्वारा अभियोग पत्र थाना प्रभारी के आदेशानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सविताबाई ने बयान बयान देते समय ऐसा नहीं बताया था कि आरोपी अपने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक विपरीत दिशा से चलाते हुए लाकर उसे ठोस मार दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सविताबाई ने उसे बयान देते समय उसके जांघ की हड़डी टूट गयी थी और घूटने में क्रेक था और उसके पैर में ऑपरेशन के बाद रॉड डली है उक्त बात नहीं बतायी थी, यदि उक्त बात वह बताती तो वह अवश्य लेख करता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सवितबाई ने उसे बयान देते समय यह भी नहीं बतायी थी कि आरोपी की गाडी में सोल्ड लिखा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सविताबाई के पास वाहन चलाने का वैध लाईसेंस था अथवा नहीं इस संबंध में उसने कोई जांच नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका ड्रायविंग लाईसेंस उसने जप्त नहीं किया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि प्र.पी.03 का मौकानक्शा उसने मौके पर जाकर नहीं बनाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सविताबाई का वाहन जप्त नहीं किया था, सविताबाई का वाहन मौके पर नही मिला था बाद में सविता अस्पताल में भर्ती हो गई थी, इसलिए उसने उससे वाहन व दस्तावेज जप्त नहीं किया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि सविता का वाहन व दस्तावेज उसने इसलिए जप्त नहीं किया, क्योंकि उससे आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सामान्यतः जब दो वाहन का एक्सीडेंट होता है तो दोनों वाहनों की जप्ती की जाती है। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने सविता से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झुटा प्रकरण बनाया था।

<u>फा.नं.23450300</u>8072015

भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाया गया हो। आपराधिक उतावलापन ऐसे बोध के साथ किसी कार्य के करने को कहते है कि उसके रिष्टि पूर्ण एवं अवैध परिणाम हो सकते है। आपराधिक उपेक्षा इस बोध के बिना कोई कार्य करने में है कि उसका अवैध और रिष्टि पूर्ण प्रभाव होगा, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में जो कि यह दर्शित करती है कि कर्तों ने उस सावधानी को नहीं बरता है, जो कि उसकी ओर अपेक्षित थी और यदि उसने वह सावधानी बरती होती, जो उसे बोध होता। अभियोजन साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। घटना का समर्थन केवल सविता अ.सा.०१ ने किया है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर विपरीत दिशा में उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मारने के कथन किये है। गति के संबंध में साक्षी के कथन तब तक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, जब तक वह उस संबंध में अनुभवी व विशेषज्ञ हो। मात्र तेज गति के औपचारिक कथन कर देने से उक्त संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जहाँ तक उपेक्षापूर्ण आचरण का प्रश्न है उक्त संबंध में भी प्रकरण में कोई विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मौका नक्शा प्र.पी.03 से अभियुक्त का विपरीत दिशा में होना स्पष्ट नहीं होता। ऐसी स्थिति में परिस्थितियाँ स्वयं प्रमाण है के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियुक्त तुलसीराम को भा.दं0स0 की धारा–279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-02, 03 एवं 04 का निष्कर्ष :-

विवेचक साक्षी गुलचंद डोहरे (अ०सा०-०३) के अनुसार जप्तश्रदा वाहन को सुपूर्वनामा पर वाहन मालिक राजेश को दिया गया था। उसके द्वारा दिनांक 16.07.15 को वाहन मालिक राजेश को धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस दिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने अपना उक्त वाहन तुलसीराम को चलाने के लिए दिया था, जो प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी राजेश ने अपने उक्त वाहन को आरोपी तुलसीराम से बिना वैध लाईसेंस के चलवाया था, जिसमें आरोपी राजेश के विरूद्ध 5/180 मो. व्ही.एक्ट की धारा का ईजाफा किया गया था। घटना दिनांक को आरोपी तुलसीराम ने उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना नम्बर के चलाया, जिससे 3 / 181 एवं 77 / 177 मो.व्ही.एक्ट की धारा का ईजाफा किया गया था। परिवादी सविता अ.सा.01 द्वारा भी अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा बिना नंबर की नई सोल्ड गाड़ी चलाने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति तथा वाहन तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। पर नंबर होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, जिसका समर्थन आहत द्वारा भी किया गया है, परन्त् अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बिना आगे पीछे नंबर लिखाकर चलाया गया एवं वाहन मालिक अभियुक्त राजेश द्वारा

<u>फा.नं.234503008072015</u>

घटना के समय उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यक्ति द्वारा चलवाया गया। फलतः अभियुक्त तुलसीराम को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 77 / 177 तथा अभियुक्त राजेश को मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 5 / 180 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण 11-अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते ह्ये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- अतः अभियुक्त तुलसीराम को मोटर यान अधिनियम की धारा 3 / 181, 77 / 177 के अपराध के लिए क्रमशः 500 / -(पाच सौ) रूपये 100 / -रुपये तथा अभियुक्त राजेश को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के लिये 1,000 / – (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भूगताया जावे।
- 13-अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 14-
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल हीरो एच०एफ० डिलक्स क्रमांक एच.ए.11ई.जे.ई.9एल.49140 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबडा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)